न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 49/2020 **दायर दिनांकः 06/03/2020**

उनवान

1. मदन मोहन आयु 42 वर्ष पुत्र प्रभूलाल
2. रामनारायण आयु 38 वर्ष पुत्र प्रभूलाल
3. हेमराज आयु 35 वर्ष पुत्र प्रभूलाल
4. पुरूषोत्तम आयु 30 वर्ष पुत्र प्रभूलाल
5. खेमराज आयु 28 वर्ष पुत्र प्रभूलाल
6. महावीर नागर आयु 24 वर्ष पुत्र प्रभूलाल
7. श्राम जानकी आयु 45 वर्ष पुत्री प्रभूलाल
8. सावित्री बाई उर्फ गुड्डीबाई आयु 40 वर्ष पुत्री प्रभूलाल
9. प्रेमबाई आयु 32 वर्ष पुत्री प्रभूलाल जातियान धाकड़ निवासीगण अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. प्रभूलाल आयु 70 वर्ष पुत्र अमरा जाति धाकड निवासी अन्ताना तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारा (राज0)

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

आदेश दिनाकः 19/03/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0 टी0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एंव माल अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 186 का ख0 न0 382 का रकबा 0.01 है0 ख0 न0 389 का रकबा 0.03 है0 ख0 न0 391 का रकबा 0.03 है0 ख0 न0 490/1034 का

रकबा 0.08 है0ख0 न0 493 का रकबा 0.89 है0 ख0 न0 494/1130 का रकबा 0.25 है0 ख0 न0 495 का रकबा 0.01 है0 ख0 न0 496 का रकबा 2.46 है0ख0 न0 537 का रकबा 1.61 है0 ख0 न0 645 का रकबा 1.63 है0 ख0 न0 65 का रकबा 1.15 है0 ख0 न0 90 का रकबा 0.01 है0ख0 न0 91 का रकबा 1.71 है0 ख0 न0 92 का रकबा 0.13 है0 कुल किता 14 का रकबा 10.00 है0 प्रतिवादीक्रम 1 के हिस्से दर्ज खाते चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद0 1 मे वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है। जो वादीगण के दादाजी अमरा के खाते दर्ज थी उक्त आराजी प्रतिवादीक्रम 1 को पिता अमरा से प्राप्त हुई थी तथा वादीगण प्रतिवादीक्रम 1 की सन्ताने है। जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजी को वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 अपने अपने हिस्से को कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी मे वादीगण व प्रतिवादीक्रम 1 का हिस्सा 1/10, 1/10, बनता है जिसमे वादीगण का जन्म से ही अधिकार बनता है। मद न0 1 मे वर्णित आराजी मे से वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी हिस्सा 1/10 को अलग से अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन प्रतिवादी क्रम 1 से किया तो प्रतिवादी क्रम 1 ने वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे अलग से नाम दर्ज करवाने से साफ मना कर दिया तथा वादीगण ने दिनांक 22.01.2020 को प्रतिवादी क्रम 1 से फिर निवेदन किया कि हमारे हिस्से की आराजी 1/10 ,1/10 को हमारे खाते राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दर्ज करवाया जावें।परन्तु प्रतिवादीक्रम 1 ने फिर साफ मना कर दिया जबकि वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दर्ज नही होने से वादीगण को कई समस्याओ का सामना करना पड रहा है। वादीगण कै0 सी0 सी0 नही बनवा सकते तथा अन्य सरकारी योजनाओ का लाभ भी नही ले सकते जिससे वादीगण को बहुत नुकसान उठाना पड रहा है। जबकि वादीगण का वाद पत्र की मद0 न0 1 मे वर्णित आराजी मे जन्म से अधिकार बनता है। जिसे प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा किये जा रहे अवेधानिक एंव गैर कानुनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। वादीगण वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजी मे से अपने हिस्से 1/10 की आराजी को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वाद कारण प्रथमबार वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 से अपने हिस्से की आराजी 1/10 को अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन करने पर तथा प्रतिवादी द्वारा मना करने पर व अन्तिम बार दिनांक 02.03.2020 को दोबारा साफ मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र मे उत्पन्न हुआ। उक्त आराजी पर

रहन का नोट हमारे हिस्से की आराजी पर दर्ज कर दिया जावें। जिसमे हमे कोई आपति नही है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम व माल अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को इस वाद मे आवश्यक पक्षकार प्रतिवादीक्रम 2 बनाया है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पैश हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीक्रम 1 सादिर फरमाई जावें।

(अ) वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजी मे वादीगण तथा प्रतिवादीक्रम 1 के मुताबिक हिस्सा 1/10, 1/10,राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे नाम दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया गया कि उपरोक्त उनवान का प्रकरण माननीय न्यायालय मे जेरकार है। जिसमे आज तारीख पेशी नियत है। ग्राम एवं माल अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 186 का ख0 न0 382 का रकबा 0.01 है0 ख0 न0 389 का रकबा 0.03 है0 ख0 न0 391 का रकबा 0.03 है0 ख0 न0 490/1034 का रकबा 0.08 है0ख0 न0 493 का रकबा 0.89 है0 ख0 न0 494/1130 का रकबा 0.25 है0 ख0 न0 495 का रकबा 0.01 है0 ख0 न0 496 का रकबा 2.46 है0ख0 न0 537 का रकबा 1.61 है0 ख0 न0 645 का रकबा 1.63 है0 ख0 न0 65 का रकबा 1.15 है0 ख0 न0 90 का रकबा 0.01 है0ख0 न0 91 का रकबा 1.71 है0 ख0 न0 92 का रकबा 0.13 है0 कुल किता 14 का रकबा 10.00 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज चली आ रही है। उक्त प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया है जो राजीनामा निम्न प्रकार है। ग्राम व माल अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां राज0 की खाता सं0 186 की कुल किता 14 की 10.00 है0 आराजी में राजीनामा अनुसार वादीगण क्रम 1 मदनमोहन 2 रामनारायण 3

हेमराज 4 पुरूषोत्तम 5 खेमराज 6 महावीर व प्रतिवादी क्रम 1 प्रभूलाल को उक्त आराजी में हिस्सा 1/7–1/7 का कृषक घोषित कर राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किया जावें।

राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया गया वादीगण की पहचान श्री महावीर नागर एड़0 द्वारा की गई तथा प्रतिवादी की पहचान श्री चन्दालाल नागर द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0फा0 किया गया। अभिभाषकगण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया विवादित आराजी ग्राम अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 186 का ख0 न0 382 का रकबा 0.01 है0 ख0 न0 389 का रकबा 0.03 है0 ख0 न0 391 का रकबा 0.03 है0 ख0 न0 490/1034 का रकबा 0.08 है0ख0 न0 493 का रकबा 0.89 है0 ख0 न0 494/1130 का रकबा 0.25 है0 ख0 न0 495 का रकबा 0.01 है0 ख0 न0 496 का रकबा 2.46 है0ख0 न0 537 का रकबा 1.61 है0 ख0 न0 645 का रकबा 1.63 है0 ख0 न0 65 का रकबा 1.15 है0 ख0 न0 90 का रकबा 0.01 है0ख0 न0 91 का रकबा 1.71 है0 ख0 न0 92 का रकबा 0.13 है0 कुल किता 14 का रकबा 10.00 है0 जो प्रभूलाल पुत्र अमरा के नाम दर्ज है। जो पैत्रिक सम्पत्ति होने से वादीगण का जन्म से अधिकार है। न्यायहित में आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम व माल अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां राज0 की खाता सं0 186 की कुल किता 14 की 10.00 है0 आराजी में राजीनामा अनुसार वादीगण क्रम 1 मदनमोहन 2 रामनारायण 3 हेमराज 4 पुरूषोत्तम 5 खेमराज 6 महावीर व प्रतिवादी क्रम 1 प्रभूलाल को उक्त आराजी में हिस्सा 1/7–1/7 का कृषक घोषित कर राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किया जावें। रहन का नोट प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में दर्ज किया जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे, डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 49/2020

उनवान

1. मदन मोहन आयु 42 वर्ष पुत्र प्रभूलाल
2. रामनारायण आयु 38 वर्ष पुत्र प्रभूलाल
3. हेमराज आयु 35 वर्ष पुत्र प्रभूलाल
4. पुरूषोत्तम आयु 30 वर्ष पुत्र प्रभूलाल
5. खेमराज आयु 28 वर्ष पुत्र प्रभूलाल
6. महावीर नागर आयु 24 वर्ष पुत्र प्रभूलाल
7. श्राम जानकी आयु 45 वर्ष पुत्री प्रभूलाल
8. सावित्री बाई उर्फ गुड्डीबाई आयु 40 वर्ष पुत्री प्रभूलाल
9. प्रेमबाई आयु 32 वर्ष पुत्री प्रभूलाल जातियान धाकड़ निवासीगण अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. प्रभूलाल आयु 70 वर्ष पुत्र अमरा जाति धाकड निवासी अन्ताना तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारा (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू...............X..............................

बहाजिर :–

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।
प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम व माल अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां राज0 की खाता सं0 186 की कुल किता 14 की 10.00 है0 आराजी में राजीनामा अनुसार वादीगण क्रम 1 मदनमोहन 2 रामनारायण 3 हेमराज 4 पुरूषोत्तम 5 खेमराज 6 महावीर व प्रतिवादी क्रम 1 प्रभूलाल को उक्त आराजी में हिस्सा 1/7–1/7 का कृषक घोषित कर राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किया जावें। रहन का नोट प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में दर्ज किया जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 19.03.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.04.02 16:17:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: